International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 713-722 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

लिंग, विद्यालय तथा समाज

पर्यवेक्षक
डॉ० इन्द्रजीन कौर (प्रौफेसर)

शोधकर्त्री
मोनालिका सिंह

Submitted: 05-08-2022 Revised: 11-08-2022 Accepted: 15-08-2022

प्रस्तुत शोध में लिंग असमानता पर अध्ययन समाज तथा विद्यालय में सन्दर्भ में लिया गया है। अतः आधुनिक समय में हालांकि नीतियों, संगठनों तथा सरकार द्वारा इसे दूर करने के प्रयास किये जा रहें है फिर भी यह एक विकट समस्या है। प्रस्तुत शोध में निवारण सम्बन्धित उपाय भी बतायें गए है।

आधुनिक भारत में महिला शिक्षा का क्रांतिकारी बीज बोने का कार्य 9वीं शताब्दी के मध्य में ज्योतिबा फूले और सावित्रिबाई फूले ने किया। 1848 में इनके प्रयासों से बालिकाओं के लिए पहली पाठशाला पुणे में खोली गई। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होने और भी कई स्कूल खोले जिस प्रक्रिया में उन्हें समाज के प्रभावशाली वर्गों के कडे विरोध का सामना करना पडा। महिला शिक्षा के पक्ष मे उनका यह सामाजिक हस्तक्षेप कोई एकाकी प्रयास नही था वरन जातिप्रथा व विधवा पुनर्विवाह जैसी अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होने मोर्चा खोला। इसी क्रम में 1858 मे जन्मी पंडिता रमाबाई के उन परिवर्तनकारी प्रयासों को भी देखा जा सकता है जिनमें उन्होने बाल विवाह तथा बाल वैधव्य से पीडित लडकियों के लिए आश्रम खोले और तथा मेडिकल कॉलेज तथा शिक्षण में महिलाओं की भागीदारी को स्थापित करने का

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 713-722 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

ऐतिहासिक कार्य किया। उपरोक्त उदाहरणों से यह साफ होता है कि महिलाओं के हक में संघर्ष करने वाले सामाजिककर्मियों का अनुभव था कि भारत के संदर्भ में जाति, वग, धर्म–संस्कृति पर सवाल खड़े किए बगैर महिलाओं के हकों की लडाई को बहुत दूर तक नही ले जाया जा सकता है।

इन्ही ऐतिहासिक हस्तक्षेपों के प्रभाव के फलस्वरूप भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों और नीति निदेशक तत्वों में महिला मुद्दो की बात की गई। संविधान का अनुच्छेद 4 जहां लिंग के आधार पर भेदभाव न किए जाने और सबकों समान रूप से देखने की वकालत करता है वहीं अनुच्छेद 5(3) महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधानों की वकालत करता है। संविधान के अतिरिक्त समय–समय पर आए विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों ने भी महिला शिक्षा पर जोर दिया है। इस कडी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को देखना उल्लेखनीय होगा जिसने पहली बार समानता के लिए शिक्षा नामक खंड में एक पूरा भाग महिला शिक्षा को समर्पित किया। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा खंड 4.2 में महिला शिक्षा पर जोर देते हुए नीति कहती है कि

"शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 713-722 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनमें महिलाएं, जो अब तक अबला समझी जाती रही है, समर्थ और सशक्त हों। नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी तथा अध्यापकों व प्रशासकों को पुनःप्रशिक्षण दिया जायेगा। महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्णकृत संकल्प होकर किया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।''

विभिन्न समय पर आई पाठयचर्या की रूपरेखाओं ने भी महिला शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रक्रिया में राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद ने तो महिला मुद्दों पर अलग से एक पोजिशन पेपर गठित किया। इस समूह की प्रमुख अनुशंसाओं में से दो शिक्षा में लडकियों की पहुॅच और अवरोधन से संबंधित थी।

1. सभी लडकियों के लिए शिक्षा तक पहुॅचः सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा पर ज्यादा खर्च करें। मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने तथा देश के सभी इलाकों में लडकियों के लिए स्कूलों की पहुॅच हो इसके लिए

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 713-722 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

प्रावधान किए जाए जिससे लडकियों द्वारा समान रूप से शिक्षा की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सकें।

2. लड़कियों की शिक्षा की गुणवत्ता तथा उन्हें विद्यालय में बनाए रखनाः सार्वजनिक विद्यालय खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा के केन्द्र बनते जा रहे है जहां समाज के वंचित तबकों के बच्चें, विशेषतः लडकियॉ आती है और जो बडी संख्या में लडकियों के स्कूल छोडने से भी जुडे है। इसलिए सार्वजनिक स्कूलों में ढ़ांचागत सुविधाओं को दुरस्त किए जाने तथा शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने की आवश्यकता है। जाहिर है इन दस्तावेजों में महिला शिक्षा एवं लैंगिक समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य की सक्रिय भूमिका की संकल्पना व प्रस्तावना की गई है। भारतीय समाज के सन्दर्भ में राज्य की भूमिका इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से स्त्री विरोधी संस्कृति का दबदबा रहा है। एक आधुनिक और लोकतान्त्रिक राज्य से अपेक्षा रहती है कि वह अपने नागरिकों विशेषतः कमजोर तबकों के लिए विशेष उपबंध कर उन्हें जीवन का सार्थक अधिकार व मूलभूत समानता के अवसर उपलब्ध कराए।

उद्देश्यः–

1. महिला शिक्षा से जुड़े सरोकारों पर अपनी समझ बना सकेंगे।

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 713-722 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

2. महिला शिक्षा में आने वाली चुनौतियों को समझ पाएंगे।
3. महिला शिक्षा में पहुँच, नामांकन, अवरोधन और कुल उपलब्धि पर लिंग सरोकारों पर अपने समझ बना सकेंगे।

नामांकन एवं पहुँच का सवालः–

महिला शिक्षा की बात करते हुए सबसे पहला ध्यान हमारा नामांकन और पहुँच के सवाल पर जाता है। शिक्षा की बात तो तब की जा सकेगी जब लडकियां विद्यालय तक पहुँच पाएगी और उनका नामांकन होगा। अभी भी बहुत सारी लडकियां की पहुँच से स्कूल बाहर है। इस कडी में हमें स्कूलों में लडकियों के न पहुँच पाने के कारणों की पडताल करनी होगी।

पहुँच के सवाल मे घर से विद्यालय की भौतिक दूरी काफी मायने रखती है। भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में जहां लडकियों को घर से बाहर अकेले भेजना सही नही समझा जाता है घर से विद्यालय की भौतिक दूरी लडकियों की पहुँच को कम करती है। बहुत सारी लडकियां सिर्फ इसलिए स्कूल बीच में ही छोड देती है क्योंकि उनके घर और विद्यालय के बीच दूरी है और इतनी दूरी तय करना उन्हें व उनके परिजनों को सुरक्षित नही लगता। लैंगिक सुरक्षा के सवाल के अतिरिक्त आज भी भारत के एक बडे वर्ग के लिए भौतिक दूरी अतिरिक्त संसधानों की मांग करती है जिसके संदर्भ में अधिकतर परिवार अपने

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 713-722 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

न्यून संसाधनों में से खर्च करने में अपने को सांस्कृतिक/मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नही पाते है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई उन नीतियों का महत्व और बढ़ जाता है जिनमें इस भौतिक दूरी को पाटने के उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर कुछ राज्य में स्कूली छात्राओं के लिए स्कूल आने जाने की यात्रा को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त रखा गया है। लिंग भेद वर्गीय जातीय और धार्मिक असमानता से गूँथा हुआ है। महिलाओं पर इस तरह उत्पीडन कई प्रकार से बढ़ जाता है। सबसे कमजोर कडी लडकियों को ही देखा जाता है। हिसा कि स्थिति में भी सबसे पहले मार इन्हें ही झेलनी होती हैं जहां जहां सामुदायिक हिंसा के प्रकरण हुये है वहॉ का अनुभव यह बताता है कि हिंसा की मार झेल रहे समुदायों का डर सबसे पहले और सबसे ज्यादा लडकियों/महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर उनको स्कूल से निकलवा लेना, घर से बाहर न निकलने देना आदि।

इस संदर्भ में आचार्य राममूर्ति समिति का निम्न कथन प्रासंगिक है जो उपरोक्त चर्चा का समेकन करता है:

स्कूल में लडकियों के दाखिले में उनके बीच में स्कूल छोड देने की दर के पीछे केवल सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण ही जिम्मेदार नही है बल्कि हमारी नीति और प्राथमिकताएं भी उत्तरदायी है। उदाहरण के तौर पर

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 713-722 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

हमारी वर्तमान शैक्षिक सुविधाएं कैसी हों, उसमें कितनी सामग्री हो और उसकी गुणवत्ता कैसी हो, ये सब बातें शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित होती हैं। उर्पयुक्त संदर्भ में या तो यह लडकियों की शिक्षा की समस्या को और अधिक बढाएगी या उनकी शिक्षा में भागीदारी को सुविधापूर्ण बना सकेगी।

अवलोकनः–

दिल्ली के स्कूलों के ताजा अनुभव यह बताते है कि जब प्रशासनिक नवाचार अथवा ई–गवर्नेंस के नाम पर प्रेवश प्रक्रिया को पहले से अधिक जटिल बना दिया गया है तो आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए जो मुश्किलें पैदा होती है उनसे हताश होकर वो सबसे पहले अपनी बेटियों को आगे न पढ़ाने या घर बैठा लेने के विचार व्यक्त करते हैं। इससे साफ होता है कि शिक्षा ग्रहण करने के रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी अपने पर परिवार बेटे में से सबसे पहले किसकी शिक्षा के अवसरों को दाव पर लगाएगें। अवरोधन से पार पाने के लिए हम निम्नलिखित बातों को ध्यान रख सकते है और कदम उठा सकते है जिससे न सिर्फ लडकियां स्कूल तक पहुॅचे बल्कि समय के साथ अपना अध्ययन भी पूर्ण कर सकें।

- सर्वप्रथम उन कारणों की खोज की जानी चाहिए जिनके कारण माता–पिता अपनी लडकियों को स्कूल नही भेज पातें, गरीबी के अलावा

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 713-722 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

जातीय कुंठा, असुरक्षा का वातावरण, अध्यापन में अरोचकता और स्कूल का अस्वच्छ एवं गन्दा होना आदि जैसे कारणों से भी लोग अपनी लडकियों को स्कूल में नही भेजते या भेज पाते हैं

- छोटी लडकियों को स्कूल जाने के लिए घर के तमाम कामों से मुक्त करने के लिए परिवार के लोगों के लिए पानी, ईंधन और चारे की सुलभता को बढ़ाना होगा, नीति निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा को इस बात पर भी बल देना चाहिए कि गॉव में सामाजिक वन क्षेत्र बनाने, पीने का पानी मुहैया करने और गॉव में सार्वजनिक भूमि को हरा–भरा बनाने का काम केवल इसलिए न किया जाए कि इससे महिलाओं के जीवन की नीरसता समाप्त हो जाएगी, बल्कि इसका उपयोग लडकियों के स्कूल जाने और स्कूल की पढाई जारी रखने के साधन के रूप में किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक स्कूल मे पानी, शौचालय और शिक्षकों तथा छात्राओं के लिए सुविधाजनक स्थान, कुर्सी, मेज आदि कि व्यवस्था होनी चाहिए।
- सभी अध्यापक प्रशिक्षित, अपने विषय में दक्ष, संवेदनशील और मेहनती हों, बच्चों कि मानसिकता को पहचानने वाले शिक्षकों को ही छात्र वर्ग

आत्मीय मानने लगता है। अध्यापन शैली में रोचकता और सम्प्रेषणता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए।

- पाठ्यक्रम सुरूचिपूर्ण वैज्ञानिक एवं बहुआयामी ज्ञान को विकसित करने वाला तथा जनतांत्रिक सिद्धांतों कि स्वीकार्यता से युक्त होना चाहिए, संप्रदायवाद, कट्टरवाद तथा संस्कृति के नाम पर किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने कि प्रवृत्ति पाठ्यपुस्तकों में अंकित नही होनी चाहिए।
- प्रत्येक कक्षा में अध्यापक की मौजूदगी अनिवार्य हो और शिक्षक शून्य कमरे की भयावहता तथा एक अध्यापक सभी कक्षाओं की देखरेख करे जैसी शोचनीय स्थिति समाप्त होनी चाहिए।
- माता–पिता तथा अभिभावकों को समय–समय पर जागरूक किया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेजे तथा शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक बने।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. एप्पल, माइकल (1990), आईडियोलोजी एण्ड़ ककिकूलम, न्यूयार्कःरटलेज।
2. एप्पल, माइकल (1993), ऑफिसियल नॉलेजः डेमोक्रेटिक एडूकेशन इन कन्सर्वेटिव एज. न्यूयार्कः रटलेज।

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 8 Aug. 2022, pp: 713-722 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

3. कारनोय, मार्टिन (1997), सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और शिक्षा, नई दिल्लीः ग्रंथशिल्पी
4. कुमार, कृष्ण (1998) शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, दिल्लीः ग्रन्थशिल्पी प्रकाशन
5. ग्राम्सी, एंटोनियों (1997), सेलेक्शन फ्रॉम प्रिजन नोटबुक, न्यूयार्कः इंटरनेशनल पब्लिशर्स.
6. जेंडर और शिक्षा रीडर भाग (2000) नई दिल्लीः निरंतर
7. डीम, रोजमैरी (1978) वूमेन एण्ड स्कूलिंग लंदनः रटलेज एण्ड कीगन पॉल।
8. डीवी जान (1998) शिक्षा और लोकतंत्र नई दिल्ली ग्रन्थशिल्पी।
9. दुर्खीम एमील (2008) शिक्षा का स्वरूप और उसकी भूमिका सुरेशचन्द्र शुक्ल एवं कृष्ण कुमार (सम्पादित) शिक्षा का समाजशास्त्री संदर्भ में नई दिल्ली ग्रन्थशिल्पी।
10. दूबे लीला (2000) एन्थ्रोपोलोजीकल एक्सप्लोरेशन इन जेंडर इण्टरसेक्टिंग फिल्डस नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन।
11. पर्सन्स, टोलकट (2000) सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्कूली शिक्षाः अमेरिकी समाज में इसके कुछ प्रकार्य शिक्षा विमर्श मार्च–जून (पृष्ठ 75–89) जयपुर दिगन्तर।
12. फ्रेरे पाउलो (1997) उत्पीडितों का शिक्षाशास्त्र नई दिल्लीः ग्रन्थशिल्पी।